कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–5/स्थानांतरण/भूगोल/2019–20/ 1–575 दिनांक–29.09.2019 के तहत् मंजू कुमारी, व्याख्याता, भूगोल महाराणी राबाउमावि. बनिपार्क जयपुर का स्थानांतरण मेजर कमलेश राउमावि कैंट एरिया नसीराबाद अजमेर किया गया । मंजू कुमारी ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर मे अपील संख्या 3055/2019 मंजू कुमारी बनाम सरकार दायर की गई।

अपील संख्या 3055/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.19 द्वारा अपीलार्थी मंजू कुमारी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए। अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक माननीय अधिकरण द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी के संबंध में स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम मे अपीलार्थी मंजू कुमारी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के ससुर वृद्ध होने, छोटी बच्ची एवं स्थानान्तरण अन्यत्र जिलें में होने के आधार पर अपना पदस्थापन 01. राउमावि पुरूषोतमपुरा, पावटा, जयपुर 02. राउमावि गोरधनपुरा, कोटपुतली, जयपुर 03. राउमावि कंवरपुरा, कोटपुतली, जयपुर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। माननीय न्यायालय राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ह्रदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है।

उक्तानुसार याचिकार्थिया मंजू कुमारी व्याख्याता भूगोल के स्थान पर अन्य व्यक्ति का पदस्थापन हो जाने एवं उनके द्वारा कार्यग्रहण करने के कारण पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में इनका समायोजन राउमावि गोरधनपुरा, कोटपुतली, जयपुर में व्याख्याता भूगोल के रिक्त पद पर किया जा कर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है । श्रीमती मंजू कुमारी को निर्देशित किया जाता है कि ये तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने समायोजित स्थान राउमावि गोरधनपुरा, कोटपुतली, जयपुर में व्याख्याता भूगोल के पद पर तत्काल कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–5/अभ्यावेदन/मंजू/को.के/18–19 दिनांकः– 4/11/2019

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
02. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
04. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिक के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिती में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
05. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
06. विधि अनुभाग, कार्यालय हाज
07. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
08. संबंधित प्राधानाचार्य
09. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका ।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–5/स्थानांतरण/भूगोल/2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत् रामकिशन व्याख्याता, भूगोल राउमावि. गांगरौली, वैर, भरतपुर का स्थानांतरण राउमावि सुनहरा कांमा भरतपुर किया गया । रामकिशन ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3025/2019 रामकिशन बनाम राज्य सरकार दायर की गई।

अपील संख्या 3025/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम निर्णय दिनांक 25.10.19 द्वारा विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक 29/9/19 कर क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध मे अधिकरण की आगामी सुनवाई तिथि तक स्थगित किया है ।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी रामकिशन द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं के भूतपूर्व सैनिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि अरौदा नदबई भरतपुर अथवा राउमावि जीवद वैर भरतपुर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। माननीय न्यायालय राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं।

उक्तानुसार याचिकार्थी रामकिशन व्याख्याता भूगोल के स्थान पर अन्य व्यक्ति का पदस्थापन हो जाने एवं उनके द्वारा कार्यग्रहण करने के कारण पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में इनका समायोजन राउमावि अरौदा नदबई भरतपुर में व्याख्याता भूगोल के रिक्त पद पर किया जा कर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है । रामकिशन को निर्देशित किया जाता है कि ये तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने समायोजित स्थान राउमावि अरौदा नदबई भरतपुर में व्याख्याता भूगोल के पद पर तत्काल कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–5/अभ्यावेदन/रामकिशन/को.के/18–19 दिनांकः– 4/11/2019

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
02. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
04. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिक के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिती में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
05. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
06. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
07. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
08. संबंधित प्राधानाचार्य
09. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका ।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)